महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
निपुण भारत

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226007

वेब-साइट: www.basiceducation.up.gov.in, www.upefa.com ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

प्रेषक:

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।
2. जिला विद्यालय निरीक्षक,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांकः सामु0सह0/विविध/12050/2022-23 लखनऊःदिनांकः 01 मार्च,2023

विषयः**विद्यालयों में स्काउटिंग और गाइडिंग को प्रभावी ढंग से संचालित किए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रादेशिक मुख्यायुक्त, भारत स्काउट एण्ड गाइड, उत्तर प्रदेश, के पत्रांक C.G./1893/2022-23 दिनांकः 25.01.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा छात्र/छात्राओं में अनुशासन एवं चरित्र निर्माण हेतु विद्यालयों में स्काउटिंग/गाइडिंग को प्रभावी ढंग से संचालित करने हेतु कतिपय बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी है।

आप अवगत हैं कि छात्र-छात्राओं को अनुशासित बनाने एवं उनमें मूल्यों का विकास करने में स्काउटिंग/गाइडिंग को प्रभावी भूमिका रहती है और सामाजिक विकास हेतु सुदृढ़ आधार की स्थापना होती है।

उक्त क्रम में आपको निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

1. पूर्व के वर्षों में स्काउट गाइड विद्यालयों में नियमित समय सारणी तथा परीक्षा समय-सारणी का एक अभिन्न अंग रही है। विगत कुछ वर्षों से विद्यालयों में स्काउटिंग/गाइडिंग गतिविधियों के क्रियान्वयन में सक्रियता की कमी परिलक्षित हो रही है, जो चिन्ताजनक है। अतः समस्त विद्यालयों में इसे पूर्व की भाँति नियमित रूप से पढ़ाया जाए, तथा इसकी परीक्षा भी ली जाए।
2. उपर्युक्त निर्देश को समुचित रूप से लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यालय में एक स्काउट/गाइड में प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध रहे। अतः प्रत्येक विद्यालय से एक अध्यापक को स्काउट/गाइड हेतु भारत स्काउट गाइड उ0प्र0 के माध्यम से प्रशिक्षित कराया जाये। प्रशिक्षण को ब्लॉक संसाधन केन्द्र पर आयोजित कराया जाए।

Note: This document is only for the knowledge and bonafide use of the Department of Basic Education, UP Government. Any sharing, publication or reproduction of this document in print or digital form or communication of its contents in any other form by any unconcerned person, body, institute or third party without prior information and approval of the competent authority will be illegal & void ab initio and appropriate action shall be taken against him in accordance with relevant rules & regulations.

३. विगत वर्षों में विद्यालयों में कब/बुलबुल/स्काउट/गाइड के काफी दलों का गठन हुआ है तथा उनके सदस्यों एवं यूनिट लीडर्स का प्रशिक्षण भी हुआ है। इस सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण प्राप्त कोई भी छात्र–छात्रा प्रमाण–पत्र प्राप्त करने से वंचित न रहें।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नकःउक्तवत्।

भवदीय

(विजय किरन आनन्द),
महानिदेशक,स्कूल शिक्षा।

पृष्ठांकनः सामु0सह0/विविध/ /2022–23 लखनऊःतद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रादेशिक मुख्यायुक्त, भारत स्काउट एण्ड गाइड, उत्तर प्रदेश, स्काउट भवन, गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक, (बेसिक)/माध्यमिक), उ0प्र0, लखनऊ।
3. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज, उ0प्र0।
4. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल उ0प्र0।

(विजय किरन आनन्द),
महानिदेशक,स्कूल शिक्षा।